न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 30/20

GCMS NO 2020/00045

1. ज्ञानसिह पुत्र मूल्या
2. प्यारसिह पुत्र मूल्या जातियान गुर्जर निवासीयान गोठबनी तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. हरकेश पुत्र गिर्राज
2. कानजी पुत्र गिर्राज
3. हीरा बेवा गिर्राज
4. रामरूप पुत्र देवचंद
5. लौहडया पुत्र देवचंद
6. नरसी पुत्र देवचंद
7. मॉगी बेवा देवचंद
8. अम्बालाल पुत्र कल्याण
9. लोहड्या पुत्र कल्याण (मृतक)

9/1. सरदार पुत्र लोहड्या
9/2. सूका पुत्र लोहड्या
9/3. सत्तू पुत्र लोहड्या
9/4. समोत्रा पत्नि लोहड्या
9/5. सन्तोबाई पुत्री लोहड्या
9/6 सुमनबाई पुत्री लोहड्या

10. रामखिलाडी पुत्र कल्याण जाति गुर्जर निवासीयान ढाणीकोचर तन अमावरा तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर
11. हीरालाल पुत्र कुंजा (मृतक)

11/1. कैलाश पुत्र हीरालाल
11/2. गोरधन पुत्र हीरालाल
11/3. रामोतार पुत्र हीरालाल
11/4. भागचंन्द पुत्र हीरालाल
11/5. नारायणी पत्नि हीरालाल
11/6. राजन्ती पुत्री हीरालाल
11/7. एरन्ता पुत्री हीरालाल जातियान गुर्जर निवासी गोठ बनी तहसील बामनवास

12. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 82/2004 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.2.2020 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:51 IST
Reason: SelfAttested

अभिभाषक अपीला0 श्री योगेश कुमार शर्मा
अभिभाषक रेस्पो0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय

दिनांक 06.0

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 18.2.20 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलांटगण के पिता मूल्या द्वारा एक वाद पत्र घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती ,विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी साबिक खसरा न0 80/1 रकबा 4 बीघा 5 विस्वा एवं खसरा न0 80/2 रकबा 15 विस्वा स्थित ग्राम गोठ की खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2027 लगायत 2030 के वादी का हिस्सा 2/5 ,जुग्गा पुत्र बालू हिस्सा 2/15 ,श्रीया पुत्र गोदू हिस्सा 1/10 ,कल्याण पुत्र गणेश हिस्सा 1/10 ,रामबल पुत्र मूल्या हिस्सा 2/15 प्रताप पुत्र पेमा हिस्सा 2/15 के नाम दर्ज थी। वादी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात मे अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त रहकर काश्त करता चला आ रहा है एवं सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा है। हाल सम्पन्न भू प्रबंध विभाग ने उक्त साबिक ख0न0 80/1 व 80/2 के नये खसरा न0 12 रकबा 48 ऐयर, 13 रकबा 50 ऐयर, 14 रकबा 18 ऐयर, 15 रकबा 11 ऐयर, एवं 16 रकबा 10 ऐयर मुताबिक नक्शा व मिलान क्षैत्रफल से बना है। वादी की खातेदारी के साबिक खसरा न0 80/1 व 80/2 से बने हाल खेत खसरा न0 13 रकबा 50 ऐयर एवं 14 रकबा 18 ऐयर को वर्तमान मे जमाबंदी मे वादी का 2/5 प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के पिता जुग्गा का 2/15 ,हीरालाल का 1/10 ,कल्याण पुत्र गणेश का 1/10 , प्रतिवादी गिर्राज का 2/15 परताप पुत्र पेमा का 2/15 खातेदारी मे दर्ज है। इसी भॉति खसरा न0 16 रकबा 10 ऐयर मे वादी का 2/5 ,श्रीया का 1/10 कल्याण का 1/10 ,रामबल का 2/15 ,परतापा का 2/15 व जुग्गा का 2/15 दर्ज किया गया है तथा खसरा न0 15 रकबा 11 ऐयर की खातेदारी प्रतिवादी गिर्राज के नाम दर्ज कर दी एवं खसरा न0 12 रकबा 48 ऐयर की खातेदारी प्रताप पुत्र पेमा के नाम दर्ज कर दी । प्रताप का निधन हो चुका है प्रतिवादी न0 1 व 2 उसके वारिसान है। साबिक खसरा न0 80/1 व 80/2 के खातेदार रामबल ने अपना हिस्सा 2/15 प्रतिवादी गिर्राज को वय कर दिया। जुग्गा पुत्र बालू फौत हो चुका, प्रतिवादी न0 3 व 4 उसके वारिसान है। श्रीया पुत्र गोदू व कल्याण पुत्र गणेश का निधन हो चुका है। जिनके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 5 ता 7 है। उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की सहखातेदारी की है जिसमे वादी का 2/5 हिस्सा है, वादी उक्त आराजीयात मे से 2 बीघा भूमि को मुतबातिर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। भू प्रबंध विभाग ने हाल खसरा न0 15 रकबा 11 ऐयर खसरा न0 12 रकबा 48 ऐयर को बिना किसी अधिकार के तन्हा प्रतिवादी संख्या 1 व प्रताप के नाम दर्ज कर दिया। जवकि दोनो खसरा न0 अविभाजित भूमि है। उक्त साबिक खसरा न0 80/1 व 80/2 का विधिवत विभाजन नही हुआ, भू प्रबंध कर्मचारियों [illegible] के खसरा न0 15 व 12 को गलत रूप से गिर्राज व प्रतापा की खातेदारी मे [illegible] कर दिया। खसरा न0 13 व 14 मे हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 9 का नाम [illegible] उक्त आराजीयात से इनका कोई संबंध नही है। जव उक्त भूमि से कोई संबंध नही है तो राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज बने

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रहने का कोई औचित्य नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व उसके पिता के नाम भूमि दर्ज होने से उनके मन मे बदयांति आ गई इसलिए सम्मिलित रूप से काश्त करना संभव प्रतीत नही हो रहा है। इसलिए वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादी का वाद पत्र इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि साबिक खसरा न0 80/1 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा एवं 80/2 रकवा 15 बिस्वा स्थित ग्राम गोठ से बने हाल खसरा न0 का वादी 2/5 हिस्से का एवं प्रतिवादी गिर्राज 2/15 का एवं प्रतिवादी न0 1 व 2 का 2/15 के एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 का 2/15 तथा प्रतिवादी न0 5 ता 7 का 1/15 भाग के खातेदार काश्तकार है इसी भॉति रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे तथा उक्त आराजीयात का मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर विभाजन कर वादी की अलग से खातेदारी घोषित कर अलग खाता कायम किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि आराजी हाल खसरा न0 12,13,14,15,16 स्थित ग्राम गोठ के 2/5 हिस्से मे वादी को काश्त करने मे किसी प्रकार की बाधा या माना मजाहमत न तो स्वयं पैदा करे न किसी अन्य से करावे तथा भूमि को रहन बय हस्तान्तरण नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/अपीलांट के पिता द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलांट के पिता का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादी के पुत्रगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व एवं तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे प्रकरण मे विरचित तनकीयात का भी विवेचन नही किया ना ही वादी द्वारा पेश मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया। इस प्रकार तनकीयात का विवेचन ना कर तथा साक्ष्य का अवलोकन ना कर निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन ना कर निर्णय पारित कर कानून भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे वादी के वाद पत्र को दस्तावेजो के आधार पर साबित मानते हुए भी अपीलांट द्वारा पेश दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल ,साबिक व हाल नक्शा ट्रेस से वादी के कथनो को बल न मिलना माना है जबकि मिलान क्षेत्रफल व साबिक हाल नक्शा ट्रेस के मिलान से स्पष्ट साबित है कि साबिक न0 80/1 व 80/2 से बने हाल नम्बर 12,13,14,15,16 मिलान खाते है। किन्तु साबिक व हाल नक्शे का सही मिलान ना कर निर्णय पारित कर दिया है जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे यह माना है कि वादी द्वारा वाद के कथनो से आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये गये है जो कि प्रकरण के निस्तारण के लिए आ[illegible] किन्तु यह उल्लेखित नही किया गया कि ऐसे कौनसे दस्तावेज है जो [illegible] जबकि वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन मे साबिक हाल [illegible] नक्शा ट्रेस व मिलान क्षेत्रफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

पेश कर प्रदर्शित करवाये गये है। जो अपने कथनो को साबित करने के लिए पर्याप्त है। निर्णय के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही प्रतिवादीगण को कानून से उपर उठकर अनुतोष देने का मन बना लिया हो जो कि [illegible] है इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। वाद पत्र मे प्रतिवादी संख्या 4 का देहावसान हो चुका है जिसके वारिसान रेस्पो0 संख्या 4 ता 7 है तथा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 अपनी भूमि प्रतिवादी संख्या 1 गिर्राज को दौराने दावा विक्रय कर चुके है इसलिए उन्हे पक्षकार नही बनाया गया है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे तथ वादीगण/अपीलांट द्वारा पेश वाद पत्र डिक्री फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि वादी/अपीलांट के पिता द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे वादी के हिस्से मे 2 बीघा भूमि आना गलत दर्ज किया है। श्रीया ने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी न0 9 हीरालाल पुत्र कुन्जा गुर्जर को विक्रय कर दिया है और हाल जमाबंदी मे श्रीया की जगह हीरालाल पुत्र कुन्जा का हिस्सा 1/10 दर्ज हो चुका है। भू प्रबंध विभाग ने मौके के अनुसार जिस कदर खातेदार काबिज थे उसी के अनुरूप सही रूप से अधिकार क्षेत्र मे इन्द्राज किया है जो बिलकुल सही किया है। सेटलमेंट का कार्य सन 1980 मे पूर्ण हो चुका था उस समय गजट नोटिफिकेशन भी हुआ था पहले कच्चा पर्चा जारी हुआ था उसके बाद वादी द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे वाद कारण किस दिन पैदा हुआ इसका कोई उल्लेख नही किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादी का दावा डिक्री योग्य नही होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही खारिज किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के अनुरूप ही वादी का वाद पत्र विधिक रूप से खारिज किया है। अतःअपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा खातेदारी ,इन्द्राज दुरूस्ती ,विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे साबिक खसरा न0 80/1 व 80/2 का ग्राम गोठ मे होना व उनकी खातेदारी वादी के अनुसार वाद पत्र मे मद न0 1 मे वर्णित कथनानुसार व उनका हिस्सा दर्ज होना मुताबिक जमाबंदी प्रदर्श 6 के आधार पर साबित माना है। परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षैत्रफल ,साबिक व हाल नक्शा ट्रेस के मिलान से वादी का वाद पत्र साबित किस आधार पर साबित नही हुआ है इसका उल्लेख अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे नही किया [illegible] अंकित किया है कि प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर वादी का कोई प्रकरण बनना [illegible] जाता है, इसके संबंध मे भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय मे स्पष्ट [illegible] प्रस्तुत वाद पत्र घोषणा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:51 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन तथा स्थाई निषेधाज्ञा का था। जिसका निर्णय तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्ष की साक्ष्य ली जाकर तनकीयात का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही विधिवत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधिनरथ न्यायालय द्वारा घोषणा के वाद मे बिना तनकीयात कायम की जाकर निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत नही है, साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा के संबंध मे किसी प्रकार का कोई विवेचन अपने निर्णय मे नही किया गया है। इस प्रकार सम्पूर्ण विवेचन से यह स्पष्ट है कि अधिनरथ न्यायालय द्वारा विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो की पालना नही की जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा प्रकरण अधिनरथ न्यायालय को उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने एवं विधिवत रूप से प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 82/04 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.2.2020 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपंक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 7.7.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:55:51 IST
Reason: SelfAttested